संख्या-9/2015/436/49-1-2015-1(19)/93

प्रेषक,

डी0 के0 शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2014

विषय- सहकारी संस्थाओं की अंशपूंजी के लिये नाबार्ड से प्राप्त ऋण के सापेक्ष नाबार्ड को देय ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-651/लेखा-अ दिनांक 09 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी संस्थाओं की अंशपूंजी में शासन द्वारा अंशदान के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (लांग टर्म आपरेशन) फण्ड से लिये गये ऋणों पर दिनांक 31-03-2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये नाबार्ड को दिनांक 31-03-2015 तक देय त्रैमासिक ब्याज की धनराशि रू0 1,17,377.00 (रू0 एक लाख सत्रह हजार तीन सौ सत्हत्तर मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित ध्नराशि में से रू0 1,17,377.00 (रू0 एक लाख सत्रह हजार तीन सौ सत्हत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। कृपया उक्त धनराशि का आहरण करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ को समयान्तर्गत भुगतान कराने का कष्ट करें।

3- कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि नाबार्ड द्वारा चार्ज की गयी धनराशि वांछनीय है।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में कृषि तथा सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) की अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्ष "2049-ब्याज अदायगियां-आयोजनेत्तर-01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज-200-अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-04-भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से प्राप्त ऋणों पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश(भारित)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-3/यू0ओ0-42(1)/दस-2015 दिनांक 23 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 के0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)

संख्या-9/2015/436(1)/49-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त धनराशि का बिल प्रस्तुत होने पर उसके आहरण हेतु आदेश तुरन्त प्रदान करने का कष्ट करें।
3- मुख्य लेखाधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11-विपिन खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/4
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- सहकारिता अनुभाग-3
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डी0 के0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।